अति आवश्यक/महत्वपूर्ण।

ओ0पी0सिंह
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्याः–45/2018
**पुलिस महानिदेशक**
**उत्तर प्रदेश**
1–तिलकमार्ग, लखनऊ–226001
दिनांकः अगस्त 09,2018

विषयः–जनपद में स्थित महिला एवं बाल संरक्षण गृहों की अनुज्ञप्ति एवं उनकी कार्यप्रणाली का परीक्षण करने के पश्चात ही महिलाओं, बालिकाओं एवं बालकों को उक्त संरक्षण गृहों में दाखिल कराये जाने के संबंध में।

प्रिय महोदय,

आप सभी लोग जनपद मुजफ्फरपुर, बिहार एवं जनपद देवरिया उ0प्र0 के महिला संरक्षण गृहों में घटित घटनाओं से भली–भॉति अवगत है, जहॉ महिलाओं एवं बालिकाओं का अनेक प्रकार से उत्पीड़न एवं उनके साथ अमानवीय कृत्य किये जाने के आरोप लगाये गये है, जिस पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा संज्ञान लेते हुये केन्द्र एवं राज्य सरकार से तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है।

पुलिस प्रशासन पर भी कतिपय संगठनों एवं समाचार पत्रों द्वारा आरोप लगाये गये है, कि बिना मान्यता, प्राधिकार अथवा अनुज्ञप्ति के संचालित महिला एवं बाल संरक्षण गृहों में निराश्रित महिलाओं, बालिकाओं एवं बालकों को पुलिस द्वारा भर्ती करा दिया जाता है और उनके भविष्य के बारे में कोई ध्यान नहीं रखा जाता है।

| |
|---|
| डीजी–16/2018 दिनांक 21.04.2018 |
| डीजी–32/2017 दिनांक 07.09.2017 |
| डीजी–10/2016 दिनांक 22.02.2016 |
| डीजी–20/2016 दिनांक 13.04.2016 |
| डीजी–45/2015 दिनांक 15.06.2015 |

महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध घटित अपराधों की रोकथाम एवं विवेचना के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अनेक परिपत्र मुख्यालय स्तर से निर्गत किये गये है, जिनमें से कुछ का उल्लेख पार्श्वांकित है, जिनका सम्यक् अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जाना अतिआवश्यक है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में निराश्रित महिलाओं, बालिकाओं, बालकों अथवा मन्द बुद्धि व्यक्तियों को उन्हीं संस्थाओं में भर्ती कराया जाये, जिन्हें राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो तथा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्ति विधि के अन्तर्गत उस निमित्त अनुज्ञप्ति जारी की गयी हो।

एतद् द्वारा पुनः आप सभी को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार की संस्थाओं के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार की अनियमितता, असुविधाओं अथवा किसी अवैध कार्य की जानकारी प्राप्त होती है तो अविलम्ब अपने स्तर से विधिक कार्यवाही करते हुए तत्काल जिला प्रशासन एवं इस मुख्यालय तथा उ0प्र0 शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न हो तथा इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,
9.8.18
**(ओ0पी0सिंह)**

**समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद एवं राजकीय रेलवे पुलिस (नाम से)**
**उत्तर प्रदेश।**

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1– समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन/जी0आर0पी0।
2– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner